उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

(अनवान प्रियंका बनाम जयप्रकाश आदि
राजस्व वाद संख्या :– 152/2025)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 152/2025

श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री रोहित सहारण जन्म दिनांक 17/07/1992 जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ..... वादीया

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र श्री महावीर प्रसाद } जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा
2. राकेश सहारण पुत्र महावीर प्रसाद } तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी – – वादी
2. श्री विजय कुमार भाटी – –प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर – – प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.09.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 23 के काश्तकारान है। चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 13(0.253 है.), 14/2(0.127 है.), 17/2(0.126 है.), 18(0.253 है.) कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि वादीया (प्रियंका पत्नी रोहित सहारण) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 133/114 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 36/22 के मुरब्बा नम्बर 13, 23, 32 की कुल 6.377 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 (जयप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 36/22 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 82/70 के मुरब्बा [illegible] 34 की कुल 7.084 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 (राकेश [illegible] पुत्र महावीर प्रसाद) के [illegible] से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 82/70 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति [illegible] वादीया के परिजनो ने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने अपने हिस्से में आई कृषि [illegible] काश्त की सहूलियत एवं सिंचाई पानी की सुविधा एवं आवाजाही हेतू रास्ता आदि को मध्य नजर रखते [illegible] अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

...– 41236

Scanned with CamScanner

दुसरे के साथ तबादला करके विगत कई वर्षों से कब्जा का लेन देन किया हुआ है तथा वादीया एवं वादी संख्या 1 व 2 उक्त प्रकार काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान द्वारा किए गए दला अनुसार एवं काश्त अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान को लगान अदा करने, पानी की वारी र्चीया जारी करवाने, केसीसी सुविधा लेने आदि में भारी परेशानियो का सामना करना पडता है इसलिए या अपने कब्जा काश्त की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्राप्त हुई कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीया के नाम दर्ज 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा र 23 की कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 17/2 (0.126 है.), 18(0. 3 है. (पूर्वी हिस्सा)) = 0.189 है. नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 जयप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद के म दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/22 के ब्बा नम्बर 13, 23, 32 की कुल 6.377 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर की 0.189 है. (पश्चिमी हिस्सा) के साथ तबादला करके विगत कई वर्षो पूर्व कब्जा का लेन देन किया हुआ है किन राजस्व रिकार्ड में आज भी उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वादीया के नाम दर्ज क 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा म्बर 23 की कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरबवा नम्बर 23 के किला नम्बर 13(0.063 है. (पूर्वी हिस्सा)), 14/2(0.127 है.) = 0.190 है. नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 राकेश सहारण पुत्र महावीर प्रसाद के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 32/70 के मुरब्बा नम्बर 23 व 34 की कुल 7.084 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 8 की 190 है. (पश्चिमी हिस्सा)) नहरी कृषि भूमि के साथ काश्त की सहूलियत एवं सिंचाई पानी की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए तबादला कर लिया तथा तबादला करके विगत वर्षो पूर्व कब्जा का लेन देन किया हुआ है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 राकेश सहारण के नाम से दर्ज है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पारस्परिक सहमति से किए तबादला अनुसार उक्त कृषि भूमि के काविज काश्त है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में तबादला अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान को काफी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है तथा वादीया उक्त कृषि भूमि का उपयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकती है, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड आदि की सुविधाओ से एवं उक्त कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाने में भी वंचित हो रही है ऐसी सूरत में वादीया उक्त कृषि भूमि घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारी है। वादीया ने पारस्परिक सहमति से हुए मौखिक विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतू प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उक्त रकबा एक दुसरे के नाम दर्ज करने हेतू आवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 3 ने श्रीमान जी न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गई जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आजकल आजकल कर बैंक से ऋण लिये होने के कथन कर समय व्यतीत कर टाल मटोल करते आ रहे है अन्ततः दिनांक 08/08/2025 को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया, बस यही विनाय मुखास्मत है इसलिए वादीया के पास उक्त वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 7 एफ बड़ा [illegible] में स्थित है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क [illegible] वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र, प्रतिवादीगण [illegible] प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 जयप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद के नाम दर्ज [illegible] बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/22 के मुरब्बा [illegible]र 13, 23, 32 की कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

6.377 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 3 की 0.189 है. {पश्चिमी हिस्सा} वादीया श्रीमती प्रियंका पत्नी रोहित सहारण जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

ा). कि प्रतिवादी संख्या 2 राकेश सहारण पुत्र महावीर प्रसाद के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/70 के मुरब्बा नम्बर 23 व 34 की कुल 7.084 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 8 की 190 है. {पश्चिमी हिस्सा}) नहरी कृषि भूमि वादीया श्रीमती प्रियंका पत्नी रोहित सहारण जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

ा). कि वादीया के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 17/2(0.126 है.), 18(0.063 है. {पूर्वी हिस्सा}) = 0.189 है. नहरी कृषि भूमि जयप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

ा). कि वादीया के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 13(0.063 है. {पूर्वी हिस्सा}), 14/2(0.127 है.) = 0.190 है. नहरी कृषि भूमि राकेश सहारण पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

ड़) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

च) वादीया को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

छ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीया के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। ाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त नवानी राजस्व वाद पत्र में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने आपस में राजीनामा करवा दिया है था पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा एवं बिना किसी जबर दवाब के राजीनामा स्वीकार कर लिया है पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। पक्षकारान ने चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114, 36/22, 82/70 की कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया है :–

(क). यहकि प्रतिवादी संख्या 1 जयप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/22 के मुरब्बा नम्बर 13, 23, 32 की कुल 6.377 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 3 की 0.189 है. {पश्चिमी हिस्सा} वादीया श्रीमती प्रियंका पत्नी रोहित सहारण जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख). यहकि प्रतिवादी संख्या 2 राकेश सहारण पुत्र महावीर प्रसाद के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/70 के मुरब्बा नम्बर 23 व 34 की कुल 7.084 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 8 की 190 है. {पश्चिमी हिस्सा}) नहरी कृषि भूमि वादीया श्रीमती प्रियंका पत्नी रोहित सहारण जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(ग). यहकि वादीया के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.759 है नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 17/2(0.126 है), 18(0.063 है (पूर्वी हिस्सा)) = 0.189 है नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जयप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(घ). कि वादीया के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 13(0.063 है. (पूर्वी हिस्सा)), 14/2(0.127 है.) = 0.190 है. नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 राकेश सहारण पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा वाद तस्दीक शामिल मिसल किया जावे एवं उक्तानुसार बंटवारा घोषित कर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी वाद प्रतिवाद नहीं होने से प्रकरण में विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में प्रियंका पत्नी रोहित सहारण का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 133/114 प्रदर्श –1, जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 82/70 प्रदर्श –2, जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 36/22 प्रदर्श –3, जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 89/49 प्रदर्श –4, जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 132/114 प्रदर्श –5, नजरी नक्शा प्रदर्श–6 प्रदर्शित करवाये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस में कथन किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए मौखिक विभाजन एवं समेकित विनिमय के आधार पर वाद आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 133/114 प्रदर्श –1, जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 82/70 प्रदर्श –2, जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 36/22 प्रदर्श –3, जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 89/49 प्रदर्श –4, जमाबंदी चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 132/114 प्रदर्श –5, नजरी नक्शा प्रदर्श–6 की प्रतियां पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि के समेकन हेतु आपसी विनिमय की सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत विनिमय हेतु वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम् के प्रावधानो के खातेदार अभिधारी अपनी जोत को समेकित करने हेतु अन्य खातेदार अभिधारी के साथ विनिमय कर सकता है। ... समान मूल्य व गुणवत्ता की हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ... आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद ...

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विवेचन अक्षरतः चस्पा होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अनवान प्रियंका बनाम जयप्रकाश आदि
राजस्व वाद संख्या :– 152/2025)

:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर वादी एवम् प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

(क). यहकि प्रतिवादी संख्या 1 जयप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 36/22 के मुरब्बा नम्बर 13, 23, 32 की कुल 6.377 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 3 की 0.189 है. {पश्चिमी हिस्सा} वादीया श्रीमती प्रियंका पत्नी रोहित सहारण जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।

(ख). यहकि प्रतिवादी संख्या 2 राकेश सहारण पुत्र महावीर प्रसाद के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/70 के मुरब्बा नम्बर 23 व 34 की कुल 7.084 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 8 की 190 है. {पश्चिमी हिस्सा}) नहरी कृषि भूमि वादीया श्रीमती प्रियंका पत्नी रोहित सहारण जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।

(ग). यहकि वादीया के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 17/2{0.126 है.), 18(0.063 है. {पूर्वी हिस्सा}) = 0.189 है. नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जयप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।

(घ). कि वादीया के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/114 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 13(0.063 है. {पूर्वी हिस्सा}), 14/2(0.127 है.) = 0.190 है. नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 राकेश सहारण पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर राष्ट्रीय लोक आदालत दिनांक 13.09.2025 को में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

(नयन गौतम) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner